

राजस्थान सरकार  
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग

क्रमांक : एफ 8(7)विप्रौ/एस.एस.डी./2016

दिनांक:

**इच्छा की अभिव्यक्ति**

विभाग द्वारा दिनांक 11.05.2024 को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 2024 का आयोजन जयपुर में किया जाना है। कार्यक्रम के आयोजन हेतु इच्छा की अभिव्यक्ति के प्रारूप में दिनांक 03.05.2024 को सायं 03:00 बजे तक आवश्यक रूप में प्राप्त की जानी है।

कार्यालयाध्यक्ष

क्रमांक : एफ 8(7)विप्रौ/एस.एस.डी./2016

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. आयुक्त एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, जयपुर को भेजकर निवेदन है कि संलग्न इच्छा की अभिव्यक्ति (Expression of Interest) को आज ही समाचार पत्रों में प्रकाशित करवाने का संबंधित को निर्देश प्रदान करावें।
2. मुख्य लेखाधिकारी, विप्रौ. विभाग, जयपुर।
3. सुश्री मधु अग्रवाल, प्रोग्रामर विप्रौ जयपुर को भेजकर लेख है कि संलग्न इच्छा की अभिव्यक्ति (Expression of Interest) आज ही विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करें।

सहायक निदेशक

**RajKaj Ref**  
**6867258**



Government of Rajasthan,  
Department of Science & Technology,  
Vigyan Bhawan,  
Shastri Nagar, Jaipur

No. : एफ 8(7)विप्रौ/एस.एस.डी./2016

Dated

Expression of Interest

Expression of Interest is invited from registered Educational Institutions/NGO's (Non Profitable) of Rajasthan for celebration of National Technology Day on 11-05-2024 in Jaipur. Last date & time for proposal submission is 03-05-2024; 3.00 PM. Detailed proposals can be downloaded from [www.dst.rajasthan.gov.in](http://www.dst.rajasthan.gov.in) or obtained from the Department.

Head of the Office

**RajKaj Ref**  
**6867258**

**राजस्थान सरकार**  
**विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग**

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा दिनांक 11.05.2024 को जयपुर में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के आयोजन हेतु राज्य की गैर लाभकारी संस्थायें यथा गैर सरकारी संस्थायें/सरकारी संस्थायें/शैक्षणिक संस्थाओं से इच्छा के अभिव्यक्ति आमंत्रित किये गये हैं। इच्छा की अभिव्यक्ति हेतु आवेदन भरने के दिशा निर्देश निम्नानुसार हैं:-

1. इच्छुक संस्थाओं द्वारा निर्धारित आवेदन प्रपत्र में इच्छा की अभिव्यक्ति आयुक्त, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, विज्ञान भवन, शास्त्री नगर, जयपुर को बंद लिफाफे में दिनांक 03.05.2024 को मध्याह्न 03:00 बजे तक प्रस्तुत की जानी अनिवार्य हैं। इसके पश्चात प्राप्त होने वाली इच्छा की अभिव्यक्तियों पर विचार नहीं किया जायेगा।
2. गैर लाभकारी संस्थायें (Non-profit organizations) जैसे गैर सरकारी संस्थायें/सरकारी संस्थायें/शैक्षणिक संस्थाएँ इस कार्यक्रम के आयोजन की पात्र होंगी।
3. संस्था द्वारा निर्धारित आवेदन प्रपत्र बंद लिफाफे में प्रस्तुत किया जायेगा तथा लिफाफे पर "इच्छा की अभिव्यक्ति हेतु विज्ञान प्रौद्योगिकी दिवस आयोजन" अंकित किया जाना आवश्यक होगा।
4. चयनित संस्था द्वारा स्वीकृत कार्यक्रम के अधीन संलग्न कार्यक्रम *अनुलग्नक - 'ब'* के अनुसार आयोजित करने होंगे। इन कार्यक्रम हेतु विभाग द्वारा वित्तीय अनुदान प्रदान किया जायेगा। यह भी सुनिश्चित करना होगा कि विभाग द्वारा स्वीकृत अनुदान राशि जिस मद के लिये स्वीकृत की गई है, उसी मद में व्यय किया जाये।
5. आवेदक संस्था के अधिकृत व्यक्ति द्वारा आवेदन पत्र एवं संलग्नकों के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर व मोहर लगाई जानी आवश्यक हैं। इसके अभाव में, आवेदन पत्र निरस्त किया जा सकता है।
6. राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस का आयोजन एक या एक से अधिक संस्थाओं के संयुक्त तत्वाधान में किया जा सकता है।
7. इच्छुक संस्था द्वारा उक्त कार्यक्रम का विस्तृत कार्यक्रम योजना प्रस्तुत करनी होगी। साथ ही कार्यक्रम के आयोजन से संबंधित गतिविधियों का मदवार विवरण मय व्यय विवरण प्रस्तुत करना होगा।
8. संस्था को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस आयोजन हेतु विस्तृत कार्यक्रम प्रस्तुत करना होगा।

**RajKaj Ref**  
**6867258**

9. संस्था द्वारा विस्तृत कार्यक्रम योजना के अंतर्गत स्पष्ट किया जाना होगा कि आयोजित की जाने वाली गतिविधियों/कार्यक्रमों में भाग लेने वाले प्रतिभागियों को उपलब्ध कराये जाने वाले भोजन, चाय-नाश्ता, ट्रांसपोर्ट, पोस्टर, बेनर, फोटोग्राफी इत्यादि (सभी सम्भावित व्यय) पर 2.00 लाख रू. तक के खर्चे का सम्भावित मद वाइज ब्यौरा बनाकर प्रस्तुत करेंगे। यदि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित बजट मद से अधिक व्यय हो तो उसका व्यय भार स्वयं संस्था को वहन करना होगा। जिसका विस्तृत विवरण *अनुलग्नक - 'ब'* के अनुसार होगा।
10. संस्था द्वारा आवेदन प्रपत्र विभाग में जमा करवाने के पश्चात आवेदन प्रपत्र में कोई परिवर्तन/संशोधन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

**राजस्थान सरकार**  
**विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग**

प्राप्त आवेदनो के आधार पर पात्र संस्थाओं का निर्धारण संस्था की पात्रता आधार पर किया जायेगा। तदोपरांत पात्र संस्थाओं में से संस्था का चयन अनुलग्नक-स के आधार पर विभागीय स्क्रीनिंग समिति द्वारा किया जायेगा।

**अ. संस्था की पात्रता आधार (Eligibility Criteria)**

1. पंजीकृत संस्था (मय PAN/TAN, Registration Certificate) के संविधान में संस्था की स्थापना का मुख्य उद्देश्य में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने/विज्ञान प्रौद्योगिकी क्षेत्र में रिसर्च करने/विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के लोकप्रियकरण करने सम्बन्धी प्रावधान होना अनिवार्य है। (दस्तावेज संलग्न करावें)
2. इसके साथ ही संस्था द्वारा भारत सरकार एवं राजस्थान सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग या विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद के साथ विज्ञान के प्रचार-प्रसार का कार्य करने का अनुभव होना अनिवार्य है। (दस्तावेज संलग्न करावें)
3. दिनांक 31.03.2024 तक आवेदक संस्था को विज्ञान विषय पर आधारित गतिविधियों के आयोजन करवाने का न्यूनतम तीन वर्ष का अनुभव होना अनिवार्य है। (दस्तावेज संलग्न करावें)
4. गत तीन वित्तीय वर्ष (2020-21, 2021-22 एवं 2022-23) का औसत टर्न ओवर रुपये 10.00 लाख प्रति वर्ष होना आवश्यक है। आलोच्य अवधि के टर्न ओवर हेतु चार्टर्ड अकाउंटेंट से प्रमाणित अंकेक्षित लेखे प्रस्तुत करना होगा।
5. संस्था के द्वारा यह शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा कि संस्था केन्द्र/राज्य सरकार के किसी विभाग/एजेन्सी द्वारा ब्लैक लिस्टेड/दंडित नहीं किया गया है।
6. संस्था को कम से कम प्रतिवर्ष एक राष्ट्रीय/राज्य स्तर पर समकक्ष सफल कार्य करने का अनुभव होना आवश्यक है। (दस्तावेज संलग्न करावें)
7. इच्छा की अभिव्यक्ति के साथ संलग्न समस्त दस्तावेजों को प्रमाणित (संस्था प्रधान/संस्था प्रधान द्वारा अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता) कर संलग्न किया जाना आवश्यक है - इसके अभाव में, आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जाएगा।
8. संस्था प्रधान को अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का प्रमाण पत्र पृथक से प्रस्तुत करना होगा।
9. अनुलग्नक 'स' में अंकित विवरण के अनुसार कुल अंको में से अधिकतम अंक प्राप्त करने वाली संस्था को सक्षम मानते हुए चयन किया जायेगा तत्पश्चात संस्था को कार्यक्रम आयोजन हेतु वित्तीय अनुदान दिया जायेगा।
10. आमंत्रित इच्छा की अभिव्यक्ति को बिना किसी कारण बताये निरस्त करने का अधिकार आयुक्त, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, जयपुर में निहित होगा।

**ब. चयन करने का तरीका अनुलग्नक -स के अनुसार होगा।**

**RajKaj Ref**  
**6867258**

## कार्यक्रम के आयोजन करवाने सम्बन्धी शर्तें

1. इस राशि का उपयोग स्वीकृत उद्देश्य हेतु वित्तीय वर्ष निर्धारित तिथि 11.05.2024 को विभागीय दिशा निर्देशों के अनुसार ही किया जायेगा।
2. कार्यक्रम के आयोजन हेतु विस्तृत कार्यक्रम योजना, प्रचार प्रसार सामग्री यथा बैनर, पोस्टर, विज्ञापन एवं अन्य सामग्री का अनुमोदन विभाग से करवाना आवश्यक होगा।
3. चयनित संस्था के द्वारा सभी गतिविधियों व कार्यक्रम एक आयोजन समिति – जो निमित्त की जावे – उसका अनुमोदन इस कार्यालय से लिया जाना आवश्यक होगा।
4. इस आयोजन समिति द्वारा किये गये कार्य का निरीक्षण नामित विभागीय अधिकारी द्वारा किया जायेगा।
5. प्रदर्शनी व गतिविधियों हेतु प्रतिभागियों/संदर्भ व्यक्ति/विशेषज्ञ आदि की व्यवस्था चयनित संस्था द्वारा आयोजन समिति के सदस्यों के परामर्श के अनुसार की जानी होगी।
6. चयनित संस्था द्वारा प्रदर्शनी व गतिविधियों हेतु चयनित आयोजन स्थल पर समस्त व्यवस्था स्वयं करनी होगी। साथ ही आयोजन में भाग ले रहे, प्रतिभागियों/आमंत्रित वैज्ञानिकों/अतिथियों को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 2024 के आयोजन स्थल पर लाने की यथोचित व्यवस्था 11.05.2024 तक की जानी होगी।
7. प्रत्येक गतिविधि हेतु संदर्भ व्यक्ति/विशेषज्ञों, सामग्री, कच्चा माल, मानदेय, परिवहन, यात्रा भत्ता आदि समस्त व्यवस्था 11.05.2024 तक चयनित संस्था द्वारा की जानी होगी।
8. उक्त आयोजन में दर्शकों व छात्र/छात्राओं की उचित संख्या (औसतन 200 प्रतिदिन) में भागीदारी की जिम्मेदारी भी चयनित संस्था की होगी।
9. चयनित संस्था द्वारा आयोजन कार्यक्रम में पर्याप्त संख्या में कर्मचारी/स्वयं सेवक नियुक्त कर उन्हें सम्बन्धित जिम्मेदारी दी जानी होगी।
10. परियोजना पर व्यय की गई राशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं अंकक्षित व्यय विवरण मय सपोर्टिंग वाउचर, कार्यक्रम आयोजन की रिपोर्ट मय प्रतिभागियों की सूची कार्य पूर्ण हो जाने के पश्चात् एक माह की अवधि में इस विभाग को भिजवाये जाने आवश्यक रूप से प्रस्तुत करने होंगे, साथ ही कार्यक्रम की वीडियो रिकॉर्डिंग भी विभाग को प्रस्तुत करनी होगी।
11. आवेदन पत्र में अंकित किसी भी शर्त/बिन्दु की व्याख्या का अन्तिम अधिकार विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग का है।
12. चयनित संस्था को अधिकतम 2.00 लाख का अनुदान दिया जा सकेगा। इससे अधिक व्यय होने पर चयनित संस्था/NGO द्वारा स्वयं के स्तर पर वहन करना होगा।
13. स्वीकृत राशि से खरीदे गये उपकरण/मशीनें इत्यादि इस विभाग की सम्पत्ति होंगे, ये संस्था में तब तक रहेगें जब तक कि इस संबंध में विभाग द्वारा अन्य कोई दिशानिर्देश जारी नहीं किये जाते। संस्था इन उपकरणों/सम्पत्तियों का निस्तारण इस विभाग की स्वीकृति के बिना नहीं करेगी।
14. इस राशि द्वारा खरीदी गई सम्पत्ति के उपयोग का विभाग को पूर्ण अधिकार होगा।
15. संस्था द्वारा स्वीकृत राशि में से खरीदे गये सामान का पृथक रजिस्टर में इन्द्राज किया जावेगा तथा अन्य आवश्यक रिकॉर्ड पृथक से रखा जायेगा जिसे विभागीय ऑडिट पार्टी द्वारा

RajKaj Ref  
6867258

चाहे जाने पर परीक्षण हेतु उपलब्ध कराना होगा। इन लेखों को विभाग के किसी प्राधिकृत अधिकारी द्वारा मांगा जाने पर निरीक्षण हेतु उपलब्ध कराना होगा।

16. संस्था को सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम भाग प्रथम में अंकित सहायतार्थ अनुदान हेतु शर्तों के अनुरूप *अनुलग्नक - 'द'* अनुबंध पत्र 500 रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर प्रस्तुत करना होगा।
17. परियोजना कार्यस्थल एवं परियोजना के अंतर्गत क्रय की गई सामग्रियों तथा परियोजना के संचालन हेतु मुद्रित सामग्री पर विभाग का नाम स्पष्ट अक्षरों में अंकित किया जाना आवश्यक होगा।

**राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस- 2024 के जयपुर में आयोजन हेतु आमंत्रित इच्छा की अभिव्यक्ति के  
अन्तर्गत आवेदन करने हेतु:**

vkosnu & izi=

1.	संस्था का नाम	
2.	पंजीकृत पता / पत्र व्यवहार का पता	
3.	संस्था का दूरभाष नं. एवं फ़ैक्स नं. (एस.टी.डी. कोड सहित)	
4.	संस्था का ई-मेल	
5.	संस्था का पंजीकरण संख्या एवं विवरण (पंजीकरण प्रमाण पत्र की प्रमाणित फोटोप्रति संलग्न, संस्था की स्थापना के उद्देश्यों की प्रमाणित प्रति भी संलग्न करें)	
6.	अध्यक्ष / निदेशक / अधिकृत व्यक्ति का नाम, दूरभाष नं. (एस.टी.डी. कोड सहित) एवं मोबाइल नं.	
7.	सचिव का नाम, दूरभाष नं. (एस.टी.डी. कोड सहित) एवं मोबाइल नं.	
8.	ट्रस्टीगण / सदस्यों की सूची (संलग्न करें)	
9.	संस्था का प्रकार (गैर लाभकारी)	गैर सरकारी संस्थाएँ / सरकारी संस्थाएँ / शैक्षणिक संस्थाएँ
10.	संस्था का पेन खाता (PAN)	
11.	संस्था का जी0एस0टी0 नम्बर (यदि लागु हो तो)	
12.	विज्ञान विषय पर आधारित गतिविधियों के आयोजन करवाने का न्यूनतम तीन वर्ष का अनुभव का विवरण	
13.	संस्था केन्द्र / राज्य सरकार के किसी विभाग / एजेन्सी द्वारा ब्लैक लिस्टेड / दंडित नहीं करने का शपथ पत्र	

**RajKaj Ref  
6867258**



14.	संस्था का बैंक अकाउन्ट विवरण खाताधारक का नाम बैंक का नाम एवं पता खाता संख्या आईएफएससी कोड मोबाइल नंबर IFSC Code, Branch Address			
15.	संस्था में नियोजित नियमित कर्मचारियों की संख्या, उनकी शिक्षा व अनुभव (स्थाई कर्मचारी की सूची संलग्न करें )			
16.	संस्था के आय के स्रोत			
17.	संस्था के विगत 3 वर्षों के अंकक्षित लेखे (प्रमाणित प्रति संलग्न करना अनिवार्य है) टर्नओवर (रु. लाख में)	2020-21	2021-22	2022-23
18.	भारत सरकार/ राजस्थान सरकार की संस्थानों/आयोग द्वारा विगत 3 वर्षों में स्वीकृत परियोजना/कार्यक्रम/ गतिविधि आदि का विवरण (वर्षवार संलग्न करें)			
19.	संस्था द्वारा चलाई जा रही अन्य गतिविधियों का विवरण			
20.	अन्य (संस्था/संस्था के मुख्य कार्यकारी को दिये गये कुल पुरस्कार/प्रमाण पत्र का विवरण पत्र प्रतिलिपि संलग्न करें। )			
21.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस-2024 के आयोजन हेतु संस्थान के लैटरहेड पर दी जाने वाली अण्डरटैकिंग (अनुलग्नक-अ) संलग्न की गई है अथवा नहीं।			
22.	कार्यक्रम आयोजन हेतु सम्पर्क व्यक्ति का नाम एवं दूरभाष नम्बर			

स्थान :

दिनांक :

**RajKaj Ref**  
**6867258**

सक्षम प्राधिकारी के  
हस्ताक्षर मय सील

(अनुलग्नक 'अ')

सहमति पत्र

(संस्थान के लैटरहेड पर दिया जाये)

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, राजस्थान सरकार के द्वारा राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस-2024, \_\_\_\_\_जयपुर मे आयोजन हेतु

.....  
.....(संस्था का नाम) इच्छा की अभिव्यक्ति की शर्तों पर सहमति प्रदान करती है।

साथ ही, यह संस्था राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस-2024 के सफल आयोजन के लिए वांछित स्वयं के संसाधनों का उपयोग करने की सहमति प्रदान करती है।

स्थान :

दिनांक :

सक्षम प्राधिकारी के  
हस्ताक्षर मय सील

**RajKaj Ref**  
**6867258**



(अनुलग्नक 'स')

**Selection Criterion for For assessment of the request/applications received under expression  
of interest for organizing National Technology Day 2024**

S.No.	Criterion	Details (to be filled by proposer)	Maximum Marks	Methodology to work out Marks obtained by applicant (Marks)
A.	Place of establishment organization's office (registered of branch as on 31-03-2024 enclose address proof, marks will be given in one category only)	----- -----	15	At Jaipur HQ of the region where the program has to be organized -10 Marks. Within the jurisdiction of departmental regional office of the region where the program has to be organized – 5 Marks. Elsewhere in the Rajasthan _ 2.5 Marks. Elsewhere outside Rajasthan – 2.5 Marks.
B.	Experience of working Scientific Activities (No. of years after registration as on 31-03-2024	-----yrs	15	3 to 5 years – 5 Marks. 5 to 10 years – 10 Marks. More than 10 years – 15 Marks.
C.	Average annual turnover of the organization for the 3 preceding financial years (2020-21, 2021-22 and 2022-23) Rs in Lacs Enclose Audit Report	Rs ----- Lacs Per Year average	20	10 lacs to 25 per year 10 Marks. 25 lacs to 50 per year 15 Marks. More than 50 lacs per year 20 Marks.
D.	Total no of projects/schemes/programmes /seminars / workshops etc received / granted /allotted from DST (G.O.I.), DST (Govt. of Raj.) of any other State S&T council so far (enclosed detailed list)	-----	20	1 to 5 activities – 5 Marks. 5 to 15 activities -15 Marks. More than 15 activities -20 Marks.
E.	Financial & Accountablility towards grant received from DST, Rajasthan.	-	20	Status of pending Utilization Certificate If NIL– 20 marks
F.	Event plan & proposal			
	i. Comprehensive		5	
	ii. Clarity		5	

छळ्ळरु ङसस ङीढ तढसढअंदङ कवबनउढदङे वङीढ इवअढीवनसक इढ ढदबसवेढकधेनइउपङजढकण

**RajKaj Ref  
6867258**

**BOND FOR GRANT-IN AID [Refer Rule 280(5)(i) ]**

A bond has been executed this ----- day of ----- between-----  
----- (hereinafter called "the grantee" which expression shall, where the context so admits, be deemed to include his heirs, successors, executors and administration) of the **ONE PART** and the **Governor of the state of Rajasthan** (hereinafter called "the Governor" which expression shall where the context so admits be deemed to include his successors in office and assigns ) of the **OTHER PART**.

Whereas the State Government has decided to grant of Rs. (Rupees ----- only) as Grant-in-aid to the (Grantee) whose proper receipt has been obtained.

And where the (Grantee) shall furnish two sureties to the State Government of the reliable person.

And now the (Grantee) and sureties will abide the conditions of grant strictly as specified in the sanction No ----- dated ----- as under:-

1. The grant shall be utilized for the purpose for which it has been granted;
2. The target dates specified therein shall be complied with;
3. The unspent amount shall be refunded after completion of the work for which grant has been granted within a period of ----- or unspent balance shall be adjusted at the time of granting next grant for the job; if any;

Further whereas the (Grantee) and sureties individually and jointly will be liable to refund to the State Government, the entire amount of the grant with interest thereon as prescribed or the sum of Rs.-----

And whereas any dispute arising out of this bond and all questions relating to the interpretation of this bond shall be decided by the State Government and the decision of the State Government shall be final.

In witness where of the parties here to have set their hands on the      day of **Feb, 2019**.

Signature of the Grantee Name & Designation with Seal	Signature for and on behalf of the Governor Name & Designation With Seal
Signature of Witness-1	Signature of Witness-1
(Name with full address)- Witness-1	(Name with full address)- Witness-1
Signature of Witness-2	Signature of Witness-2
(Name with full address)- Witness-2	(Name with full address)- Witness-1

(अनुलग्नक 'य')

FUND MOBILIZATION

S.No.	Financial Year	Funds Received/Generated (Rs. In lacs)		Total (Colb+Col C) Rs. In Lacs	%age of fund mobilization (total of C/total of D X 100)
		From own source	From Government/other governmental agencies & other external sources		
1	2020-21				
2	2021-22				
3	2022-23				
Total					

Data is to be correlated with audited balance sheet.

**RajKaj Ref  
6867258**